

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना। आदेश

8433
14.08.2026

02/नि.स्था. प्रो./वि.उ.(02) - 04/2021

वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा अधिसूचित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.01.2009 अथवा उसके बाद 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले सहकारिता विभाग लिपिक संवर्ग के निम्नांकित कर्मियों को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 12.08.2026 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका-3(क) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित वेतनमान में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	नाम एवं पदनाम	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि/ग्रेड पे/पुनरीक्षित लेवल	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/ग्रेड पे/पुनरीक्षित लेवल	तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि/ग्रेड पे/पुनरीक्षित लेवल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री आकाश कुमार प्रधान लिपिक	14.11.1985	12.06.2013	12.06.2023 PL-03	X	X	
2	श्री अजय कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक (सेवानिवृत्त)	10.01.1963	03.10.1996	X	03.10.2016 GP-4600/- (PL-07)	X	
3	श्री राजीव नन्द किलियार, उच्च वर्गीय लिपिक	02.07.1972	28.01.2011	10.10.2025 PL-03	X	X	विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से अनुमान्य।
4	श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान लिपिक	20.04.1978	31.01.2011	31.01.2021 PL-03	X	X	
5	श्री मुकेश जे0 मेहता, निम्न वर्गीय लिपिक	20.02.1991	03.11.2014	07.05.2026 PL-03	X	X	विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से अनुमान्य।
6	श्री अविनाश कुमार, प्रधान लिपिक	01.01.1972	07.04.2004	X	07.04.2024 PL-05	X	
7	श्री मिर्जा अमीर हमजा बेग, प्रधान लिपिक	05.12.1983	07.04.2004	X	07.04.2024 PL-05	X	
8	श्री विपुल कुमार सिंह, प्रधान लिपिक	15.01.1974	07.04.2004	X	07.04.2024 PL-05	X	
9	श्री विभोर आनन्द प्रधान लिपिक	17.07.1977	07.04.2004	X	07.04.2024 PL-05	X	
10	श्री कौशर प्रवीण, उच्च वर्गीय लिपिक (सेवानिवृत्त)	11.03.1965	08.04.2004	X	08.04.2024 PL-05	X	

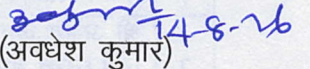
2. वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि., दिनांक 10.04.2013 तथा संकल्प संख्या 7448 दिनांक 05.10.2018 के आलोक में लाभान्वित कर्मियों मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

3. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(1)/वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के कंडिका-12/वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 की कंडिका-11 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7448 दिनांक 05.10.2018 के आलोक में किया जायेगा।

4. सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्धित सभी लिपिक की सेवा-पुस्त की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि इनकी सेवा संपुष्ट है, वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं तथा विभागीय लेखा परीक्षा अंतिम स्तर से उत्तीर्ण हैं अथवा सक्षम प्राधिकार के स्तर से विमुक्त हैं। कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा की उत्तीर्णता अथवा सक्षम प्राधिकार के स्तर से उक्त परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति के संबंध में भी संतुष्ट हो लिया जायेगा। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामलों में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संदर्भ में वेतन निर्धारण उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

5. उपर्युक्त किसी भी कार्मिक के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली कर ली जाएगी जो सम्बन्धित कर्मी को स्वीकार्य होगा।

6. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


(अवधेश कुमार)
अवर सचिव।

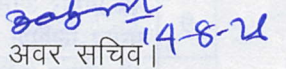
ज्ञापांक 8433 / पटना, दिनांक 14.08.2026.
02/नि.स्था. प्रो./वि.उ.(02) - 04/2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित लिपिक/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (खादी सहित)/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा/उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 नि., 7 नि. (निग.) एवं 01 नि./विशेष कोषांग (लिपिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विभागीय आई.टी. मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।


अवर सचिव।

2